राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस–नोट

दिनांक : 01.07.2020

शासन के कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र दिनांक 23.06.2019 के अनुसार प्रक्रियाधीन भर्ती में अति पिछड़ा वर्ग (M.B.C.) का आरक्षण एक प्रतिशत से बढाकर पॉच प्रतिशत करने पर आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2018(नॉन टीएसपी) के दिनांक 02.04.2018 को जारी विज्ञापन के अन्तर्गत कार्मिक विभाग से प्राप्त नवीन संशोधित (अधिसंख्यक) पद सम्मिलित करते हुए वर्गवार वर्गीकरण प्राप्त होने पर आयोग द्वारा पदों का नवीन शुद्धि पत्र संख्या 03/2020–21..दिनांक 01.07.2020 को जारी किया गया है।

अतः उक्त परीक्षा में M.B.C. का आरक्षण एक प्रतिशत से बढ़ाकर पॉच प्रतिशत किए जाने के फलस्वरूप उक्त परीक्षा के अन्तर्गत नॉन टीएसपी विज्ञापन के तहत आवेदित **एमबीसी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें ओबीसी वर्ग में आवेदन किया है और प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम में सफल होकर मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुए है,**, उन्हें O.B.C. से M.B.C.. वर्ग में ऑन लाईन संशोधन हेतु अवसर प्रदान किए जाने बाबत् निम्नाकिंत दिनांक तक 03 दिवस के लिए ऑनलाईन संशोधन का विकल्प खोला जा रहा है ।

क्र.सं.	परीक्षा का नाम/विज्ञापन संख्या/शुद्धि पत्र संख्या	Edit Opening Date
1.	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2018 (नॉन टीएसपी) विज्ञापन संख्या : 02/परीक्षा/RAS-RTS/2018–19 दिनांक 02.04.2018 शुद्धि पत्र संख्या 05/2018–19 दिनांक 15.05.18 शुद्धिपत्र संख्या 09/2018–19 दिनांक 22.05.18 शुद्धिपत्र संख्या 15/2018–19 दिनांक 13.07.2018 शुद्धिपत्र संख्या 24/2018–19 दिनांक 16.10.2018 शुद्धिपत्र संख्या 03/2020–21 दिनांक 01.07.2020	02.07.2020 से 04.07.2020 (रात्रि 12.00 बजे तक)

<u>उक्त ऑनलाईन संशोधन के अवसर के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को निम्नांकित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखा जाना है–</u>

1– **यह सुविधा केवल उक्त परीक्षा हेतु जारी प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम में अपिजा वर्ग में सफल घोषित किए गए और मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुए है, उन अभ्यर्थियों के लिए ही वर्ग परिवर्तन अपिजा वर्ग से अति पिछड़ा वर्ग करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। उक्त अवसर अंतिम अवसर है इसके पश्चात कोई अवसर देय नही होगा ।**

2– संशोधन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाईन पोर्टल http://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को click कर अथवा एस.एस.ओ. (sso) पोर्टल http://sso.rajasthan.gov.in से login कर citizen Apps (GIC) में उपलब्ध recruitment Portal को चयन कर 300 रूपये का शुल्क जमा कराते हुए ऑनलाईन संशोधन कर सकते हैं।

3– उक्त वर्णित बिन्दुं की परीक्षा में ऑफलाईन संशोधन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। उक्त परीक्षा के जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में संशोधन हेतु ऑफलाईन प्रार्थना–पत्र आयोग कार्यालय को प्रस्तुत किए हैं। उनके भी ऑफलाइन प्रार्थना पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किये गये है, वे अभ्यर्थी भी केवल ऑनलाईन संशोधन के विकल्प का ही उपयोग करें।

4– उपरोक्त ऑनलाईन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के हितार्थ सुविधा मात्र है। उक्त संशोधन सम्बन्धित परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही मान्य होंगे। विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेगी।

5– उपरोक्त संशोधनों के संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर **<u>recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in</u>** पर ई–मेल से अथवा फोन नं.–0294–3057541 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(आशीष गुप्ता)
सचिव